सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 2016

सा.का.नि. 868(अ)—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 और सा.का.नि. 335 (अ) तारीख 23 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतरित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गईं थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आदेश और मुद्दाओं आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 23 अप्रैल, 2015 और 23 मार्च, 2016 को उपलब्ध करवाई गईं थीं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आदेशों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (नवं संशोधन) नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रबुद्ध होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में बंड (य) के पश्चात् निम्नलिखित बंड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, बंड (य) के पश्चात् निम्नलिखित बंड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

‘(यक) "मोटर कारबाही" से विशेष प्रयोजन के लिए रहने का बास-सुविधाएं सम्मिलित करने की लिए निम्नित्व एम थेरी का यान अभिप्रेत है जिसमें कम से कम निम्नलिखित उपस्कर अन्वित होंगे।

(i) सीटें और टेबल;
(ii) सोने का बास-सुविधा जो सीटों से संपर्कित की जा सकती है;
(iii) खाना पकाने की सुविधाएं; और
(iv) भण्डारण सुविधाएं,

जो रहने के क्रम के साथ खुद के साथ सकती हैः परतः स्थान स्थानात्मक की के लिए परिवर्तित हो सकेंगी।

(यक) "सड़क रोगी-बाहन" सड़क रोगी-बाहन विशेष रूप से मजित और समुदाय की दृष्टि से परिवर्तित यान है जो वीमार या शक्तिशाली वजीरों के परिवर्तन या आपात उपचार के लिए और जब समुचित रूप से इसमें कम बचाव अवस्था हो, उसके अभिप्रेत देखभाल त्त्व और अनुसन्धान, दौरे या अनुसरण के लिये संस्थापित किए जाएंगे अथवा:

(i) "विद्यालय बस" से विद्यालय जाने वाले बालकों के लिए विशेष रूप से परिवर्तित और निम्नित्व ऐसा यान अभिप्रेत है जिसमें चालक को छोड़कर 13 या अधिक के बैठने की अनुमति हो;

(यक) "विशेष प्रयोजन यान (एस पी बी)" से थेरी एल [क्वोल एआईएस-125 (भाग-1)-2014 के अनुसार] में सड़क रोगी-बाहन की दृष्टि में, एन या टी का ऐसा यान अभिप्रेत है जो, खुद की अवस्था अनुपबंध और/या उपस्कर अपेक्षित है, का पालन करने के लिए निम्नित्व तकनीकी विशेषताएं रखता हो।

3. उक्त नियमों के नियम 108 में, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात्, उप-नियम (1) के परंतु के, बंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित बंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) रोगियों के वहन हेतु उपयोग के लिए किसी रोगी-बाहन में फिट किए गए बैग शीर्ष सहित शिरे टाइप की लाल बैग या एआईएस-125 (भाग 1) -2014 के उपाबंध -1 के अनुसरण में सड़क रोगी-बाहन पर लगे हुए चेतावनी दीप;"

4. उक्त नियमों के, नियम 108 में, उप-नियम(6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्साथी बी आई एस विनिर्देश अभिप्रेत किए जाने तक, 1 अप्रैल 2018 को और उसके पश्चात् सड़क रोगी-बाहन पर लगी हुई ऊपर की बिनिर्देश नेतावी दीप इसमें विनिर्देश सर्व प्राकार के रोगी-बाहन के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:125 (भाग 1) -2014 के अनुसरण में होगी।

5. उक्त नियमों के नियम 119 में, 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात्, उपनियम (3) में निम्नलिखित पंरतु अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
परंतु सड़क रोगी-वाहनों के सायरन के साथ, जब तक भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्त्वाचार्य बीआईआर निर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, तब तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस:125 (भाग1)2014 के अनुसार होंगी।"

6. उक्त नियमों, में, नियम 125-ड. के पखात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"125-च, एल और एम बेडिंगों के साथ, सड़क रोगी-वाहनों का प्रकार अनुसमार।
भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्त्वाचार्य भी बीआईआर बिन्दुस्त्र सूचित किए जाने तक, 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पखात, बिन्दुस्त्र अल्ल और एस बेडिंगों के साथ, सड़क रोगी-वाहन, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:125(भाग1)2014 के अनुसार होंगे।"

125-बब बेडिंग प्रणाली यानों के लिए प्रकार अनुसमार।- (1) भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्त्वाचार्य भी बीआईआर बिन्दुस्त्र सूचित किए जाने तक, 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पखात, बिन्दुस्त्र मोटर कारवां समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-124:2014 के किस्ति अपेक्षाओं के अनुसार होंगे।

(2) भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्त्वाचार्य बीआईआर बिन्दुस्त्र सूचित किए जाने तक उक्त मानकों के खंड 0.0 (ब) के अधीन यथा अनुसार विभाग यानों पर बनाये गए मोटर कारवां भी समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-124:2014 के अनुसार होंगे।

7. उक्त नियमों के, प्रायः 22-क में,-

(i) अंकों और अधरों "125-ग" के स्थान पर अंक और अधर "125-च, 125-छ" अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) भाग-2 में,-

(क) मद 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"4 बस बॉडी निर्माणकारी प्रस्ताव प्रमाणपत्र संख्याक........................................ तारीख............................
तारीख तक विद्यमान होगा।
5. अनुमोदित परीक्षण अभिक्रिया द्वारा जारी यान बॉडी निर्माण (बस सड़क रोगी-वाहन मोटर कारवां आदि) प्रकार अनुसमार प्रमाणपत्र संख्याक..............................तारीख............................."

(ब) टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी रखा जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पणी:- भाग II, 1 अक्टूबर, 2014 को या उसके पश्चात बिन्दुस्त्र मोटर कारवां को और 1 अक्टूबर, 2016 को और उसके पश्चात बिन्दुस्त्र मोटर कारवां के यथामूलक मॉडलों को और तिम्ब्र: एआईएस 125 (भाग1):2014 और एआईएस 124(भाग1):2014 के लागू होने की तारीख से विद्यमान मोटर रोगी-वाहनों और मोटर कारवां की दशा में लागू होगा।"

[सं. आरटी-11028/10/2013-एमवीएल]
अभय दामले, संयुक्त सचिव
टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजन्य, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सां.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्याक सां.का.नि. 682 (अ) तारीख 12.07.2016 द्वारा उनका अन्तिम संशोधन किया गया।
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2016

G.S.R. 868(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notifications of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 316(E), dated the 23rd April, 2015 and number G.S.R. 335(E), dated the 23rd March, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notifications were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 23rd April, 2015 and the 23rd March, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2016.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2, after clause (z), the following clauses shall be inserted, namely:—
   ‘(za) “Motor Caravan” means a special purpose category M vehicle constructed to include living accommodation which contains at least the following equipment:—
   (i) seats and table;
   (ii) sleeping accommodation which may be converted from the seats;
   (iii) cooking facilities; and
   (iv) storage facilities,
   which shall be rigidly fixed to the living compartment:
   Provided that the table may be designed to be easily removable;
   (zb) “Road Ambulance” means a specially equipped and ergonomically designed vehicle for transportation and/or emergent treatment of sick or injured people and capable of providing out of hospital medical care during transit or when stationary, commensurate with its designated level of care when appropriately staffed;
   (zc) “School Bus” means a vehicle with a seating capacity of thirteen passengers and above excluding driver designed and constructed specially for school going children;
   (zd) “Special Purpose Vehicle (SPV)” means a vehicle of category L [only in case of Road Ambulance complying to AIS-125 (Part1)-2014], M, N or T having specific technical features in order to perform a function which requires special arrangements and/or equipment.’.

3. In rule 108 of the said rules, on and after the 1st April, 2018, in sub-rule (1), in the proviso, for clause (iv), following clause shall be substituted namely:—
   “(iv) the blinker type of red light with purple glass fitted to an ambulance van used for carrying patients or the warning lamps fitted on Road Ambulance in accordance with Annexure-I of AIS-125 (Part-1)-2014;”.

4. In rule 108 of the said rules, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
“(7) On and after the 1st April, 2018, the top lights (warning lamps) fitted on Road Ambulances shall be in accordance with AIS:125 (Part 1)–2014, as amended from time to time, for all types of ambulances specified therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).”.

5. In rule 119 of the said rules, on and after 1st April, 2018, in sub-rule (3), following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that requirements for sirens of Road Ambulances shall be in accordance with AIS:125 (Part 1)-2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).”.

6. In the said rules, after rule 125-E, the following rules shall be inserted, namely:-

“125F- Type Approval of Road Ambulances of Vehicle categories L and M. - Road Ambulances of categories L and M manufactured on and after the 1st April, 2018, shall be in accordance with AIS: 125 (Part 1)–2014 as amended from time to time, for all types of ambulances specified therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

125-G Type Approval of Special Purpose Vehicles.- (1) The Motor Caravans manufactured on and after the 1st April, 2018, shall comply with the requirements stated in AIS-124:2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(2) The Motor Caravans built on the existing vehicles as permitted under the clause 0.0 (b) of the said standard shall also comply with AIS-124:2014, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).”.

7. In Form 22-A of the said rules,-

(i) after figures and letter “125C”, the figures and letters “125F, 125G” shall be inserted;

(ii) in PART-II,-

(a) For items 4 and 5, the following shall be substituted, namely:-

“4. Bus Body Builder Accreditation Certificate Number ________ Date ________
valid up to date ____________.

5. Vehicle Body construction (Bus/Road Ambulance/ Motor Caravan /etc.) Type Approval Certificate Number _______________ Date __________ issued by the approved Test Agency.”

(b) for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

“Note: Part II shall be applicable for new model of buses manufactured on or after the 1st October, 2014 and for the existing models of buses manufactured on and after 1st October, 2016 and in case of Road Ambulances and Motor Caravans manufactured from the date of applicability of AIS-125 (Part 1): 2014 and AIS-124: 2014 respectively.”.

[ F. No. RT-11028/10/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 682(E) dated 12.07.2016.